



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14254

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45030/2025

राम जीयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: आशुतोष कुमार पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका को 'बल न देने' के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है कि याची को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
2. प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
3. तदनुसार, याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ 'बल न देने' के आधार पर खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिका के साथ संलग्न आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी एक फोटोकॉपी सुरक्षित रखने के पश्चात, याची के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

20 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"